



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये (2,00,000 रु0) के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-36/2014 धारा-302 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला/सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बृजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह पुत्र उदयपाल सिंह निवासी पाटनपुर थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व दो लाख रुपये (2,00,000 रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
उ0नि0 रामआसरे
यादव



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव